UN-2016-648(आ०)/363326.

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6/वि02 - 108/2016 648(आ०) पटना - 15, दिनांक :- 28/03/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पूर्व।

विषय - वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Flexi Fund) अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ / सुखाड़ / आपदा एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मोबाईल वैन पर अधिष्ठापित प्यूरिफिकेशन यूनिट के वाटर ए0 टी0 एम0 के द्वारा करने हेतु राज्यांश मद से 64.597 लाख रूपये (चौंसठ लाख उनसठ हजार सात सौ रूपये) मात्र का आवटन।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Flexi Fund) अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ / सुखाड़ / आपदा एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मोबाईल वैन पर अधिष्ठापित प्यूरिफिकेशन यूनिट के वाटर ए0 टी0 एम0 के द्वारा करने हेतु विभागीय पत्रांक - 6/वि02-108/16 - 2969, दिनांक - 27/10/16 एवं शुद्धि पत्र संख्या - 485 दिनांक - 03/03/17 द्वारा 757.150 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है जिसमे 378.575 लाख रूपये राज्यांश की राशि है। वर्ष 2017-18 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ / सुखाड़ / आपदा एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मोबाईल वैन पर अधिष्ठापित प्यूरिफिकेशन यूनिट के वाटर ए0 टी0 एम0 के द्वारा करने हेतु राज्यांश मद से 64.597 लाख रूपये (चौंसठ लाख उनसठ हजार सात सौ रूपये) मात्र का आवटन किया जाता है।

2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जल पूर्ति - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0330-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - विपत्र कोड - 36-4215011020330 - पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड - 9150 - विषय शीर्ष - 0330.53.01 - मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। इस योजना के लिए कोई नये पद का सृजन नहीं किया जायेगा।

4. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

5. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि को खर्च नहीं किया जायेगा।

6. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक - एम0 04-05/98 - 2561 (वि0 - 2) दिनांक - 17-04-98 के अधीन निकासी हेतु विमुक्त है।

7. कार्यो का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारीख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

28.3.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियन्ता प्रमुख

ज्ञापांक – 648 (ma)   पटना, दिनांक – 28/03/2018

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विकास आयुक्त, प्रधान सचिव / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, पटना / उप–विकास आयुक्त, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पटना / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव/ अधीक्षण अभियन्ता, पटना / कार्यपालक अभियन्ता –सह– नोडल पदाधिकारी / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी – 4 / 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

S. Mishra 28.3.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियन्ता प्रमुख